

**सं. 399/5/2024-एवीडी-।।।**

भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

\*\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

14.08.2024

**विषय : केन्द्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के पद हेतु चयन।**

भारत सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (अधिनियम) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) का गठन किया है। यह आयोग नई दिल्ली में स्थित है। इस आयोग में एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त तथा अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त होते हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्य एवं शक्तियां इस अधिनियम के अध्याय 3 के प्रावधानों के अनुसार हैं।

2. केन्द्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के पद पर सितंबर, 2024 में उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने हेतु प्रस्ताव है क्योंकि सतर्कता आयुक्त को अपना कार्यकाल के पूरा होने पर पद को छोड़ना है। श्री अरविंद कुमार, सतर्कता आयुक्त के कार्यकाल के पूर्ण होने के फलस्वरूप उत्पन्न रिक्ति को भरने हेतु सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति प्रस्तावित है।

3. सतर्कता आयुक्त अपने पद पर अपनी तैनाती की तारीख से चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने, जो भी पहले हो, तक इस पद पर रहेंगे/रहेंगी।

4. तथापि, सतर्कता आयुक्त अपने पद को छोड़ने के पश्चात केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे बशर्ते कि, यदि उन्हें केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल सतर्कता आयुक्त और केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के संयुक्त कार्यकाल चार वर्षों से अधिक नहीं होना चाहिए।

5. सतर्कता आयुक्त को देय वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा संबंधी शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को देय वेतन एवं भत्तों तथा सेवा शर्तें समान होंगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा लिए गए पेंशन/सेवा निवृत्ति संबंधी लाभों, यदि कोई हो, को समायोजित करने के अध्वधीन होंगी।

6. इच्छुक उम्मीदवार सम्पूर्ण सूचना एवं ब्यौरों के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 देखें।

**7. पात्रता एवं अन्य अपेक्षाएं :-**

7.1 सीवीसी अधिनियम, 2003 की धारा 3(3) प्रावधान करती है कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एवं सतर्कता आयुक्त निम्नलिखित व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे:-

क) जो अखिल भारतीय सेवा या केन्द्र की अन्य किसी सिविल सेवा या संघ के अधीन सिविल पद पर रह चुके हों या जिन्हें नीति प्रशासन सहित सतर्कता, नीति निर्माण एवं प्रशासन (पुलिस प्रशासन सहित) से संबंधित मामलों की जानकारी एवं अनुभव हो; या

ख) जिन्होंने केन्द्रीय अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा स्थापित किसी निगम में या केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनी में पद धारण किया हो या पद धारण किए हुए हों और ऐसे व्यक्ति जिन्हें बीमा एवं बैंकिंग, विधि, सतर्कता एवं अन्वेषणों सहित वित्त में विशेषज्ञता एवं अनुभव प्राप्त हो;

*बशर्ते कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एवं सतर्कता आयुक्तों में से अधिकतम दो व्यक्ति उपरोक्त संदर्भित श्रेणी खण्ड (क) या खण्ड (ख) से संबंधित हों।*

7.2 उपरोक्त अधिनियम की धारा 3(3)(क) के अधीन आने वाले व्यक्तियों के मामले में, वरीयतः ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार के सचिव या केन्द्र सरकार के अधीन उसके समकक्ष पद पर आवश्यक रूप से रहे हों या पद धारण कर रहे हों।

7.3 उपरोक्त अधिनियम की धारा 3(3)(ख) के प्रथम भाग के अधीन आने वाले व्यक्तियों के मामले में ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अनुसूची 'क' के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का पद धारण किया हो और उनके बोर्ड में कम से कम 3 वर्ष के लिए पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्य किया हो।


7.4 ऐसे व्यक्तियों के मामले में जिन्हें बीमा एवं बैंकिंग, विधि, सतर्कता एवं अन्वेषण सहित वित्त में विशेषज्ञता और अनुभव हो और जो इस अधिनियम की धारा 3(3)(ख) के द्वितीय भाग के अंतर्गत आते हों, उन्हें वहां प्रतिष्ठा प्राप्त हुई हो और उन्होंने उस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां अर्जित की हों बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति जो निजी कम्पनी में नियुक्त हों, ने कम से कम तीन वर्ष के लिए प्रबंध निदेशक/सीईओ, पूर्णकालिक निदेशक का पद संभाला हो।

7.5 सभी आवेदक उत्कृष्ट योग्यता और बेदाग सत्यनिष्ठा वाले होने चाहिए और उन्हें संगत क्षेत्रों में जानकारी और 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

8. सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति के मानदंडों को पूरा करने वाले एवं इस पद पर विचार किए जाने के इच्छुक व्यक्ति संलग्न प्रपत्र में अपना आवेदन अवर सचिव (एवीडी-III), कमरा सं. 270-बी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को **15.09.2024** तक भेज सकते हैं।

9. सेवारत व्यक्तियों के लिए अपना आवेदन उचित माध्यम से भेजना आवश्यक है। वे अपने आवेदन की अग्रिम प्रति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को निर्धारित तिथि तक सीधे भेज सकते हैं (केवल ई मेल द्वारा [usv3@nic.in](mailto:usv3@nic.in)) परन्तु उन आवेदनों पर तभी विचार किया जाएगा जब अंतिम रूप से वे उचित माध्यम से प्राप्त होंगे।

**10. नियत तारीख के बाद प्राप्त आवेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा।**



(संतोष कुमार)

अवर सचिव

दूरभाष - 2309 4541

**केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के पद के लिए विचार किए जाने हेतु विवरण भेजने के लिए प्रपत्र**

कृपया पासपोर्ट  
आकार का  
अद्यतन फोटो  
ग्राफ चिपकाएं

1. नाम :
2. जन्म तिथि :
3. वर्तमान पता :
4. संपर्क सूत्र  
क) दूरभाष संख्या (एसटीडी कोड सहित) :  
ख) मोबाइल संख्या :  
ग) फैक्स :
5. ई- मेल पता :
6. शैक्षिक योग्यताएं :
7. कृपया श्रेणी दर्शाएं जिसके अंतर्गत आवेदक  
आवेदन कर रहा है अर्थात: श्रेणी 3 (3) (क) या  
श्रेणी 3 (3) (ख) का पहला भाग या श्रेणी 3 (3) (ख)  
का दूसरा भाग :
8. सेवा में अथवा सेवा निवृत्त? (कृपया सेवा का वर्णन  
करें, यदि हो) :
9. संगत क्षेत्र (क्षेत्रों) में अनुभवों का ब्यौरा (समर्थन में  
दस्तावेज़ संलग्न करें) :
10. क्या उनके विरुद्ध कोई आपराधिक  
मुकदमा/अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी  
(यदि हाँ, तो विवरण दें) :
11. कोई पुरस्कार, सम्मान, आदि मिला है तो विवरण दें  
या अन्य कोई संगत जानकारी :
12. कृपया अपना उपयुक्तता मूल्यांकन दर्शाएं (300 ;  
शब्दों से अधिक नहीं)

दिनांक:

हस्ताक्षर:

स्थान:

नाम: